न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 92/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 कोनार्क हाउस कोर्ट रोड गुडगांवा जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता देवानन्द शुक्ला पुत्र दूधनाथ शुक्ला निवासी क्यू जी 4 कोनार्क ओयेसिस भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:– प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्रीमती भागरती जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

:––वादी/रेस्पो0

2 भागमल पुत्र शिवचरण जाति गूर्जर
3 भगतसिंह पुत्र प्रहलाद जाति गूर्जर
4 छतरपाल पुत्र राजाराम जाति गूर्जर
5 संतरा देवी स्त्री पूरणसिंह जाति गूर्जर
6 देपाल पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर
7 ,कृष्ण पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर निवासीयान सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 मायावती स्त्री लक्ष्मण जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

9 प्रेम स्त्री नामालूम जाति गूर्जर निवासी ग्राम बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

10 राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 26.7.2019

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0सं0 1,8 :- श्री दिनेश यादव

दूसरी अपील :-

अपील संख्या :- 106/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 कोनार्क हाउस कोर्ट रोड गुडगांवा जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता देवानन्द शुक्ला पुत्र दूधनाथ शुक्ला निवासी क्यू.जी 4 कोनार्क ओयेसिस भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 मायावती स्त्री लक्ष्मण जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गुडगांवा हरियाणा

:––वादी/रेस्पो0

2 भागमल पुत्र शिवचरण जाति गूर्जर

3 भगतसिंह पुत्र प्रहलाद जाति गूर्जर

4 छतरपाल पुत्र राजाराम जाति गूर्जर

5 संतरा देवी स्त्री पूरणसिंह जाति गूर्जर

6 वेदपाल पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर

7 ,कृष्ण पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर निवासीयान सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

8 ओमप्रकाश पुत्र श्रीमती भागरती जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

9 प्रेम स्त्री नामालूम जाति गूर्जर निवासी ग्राम बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

10 राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:–––प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा

दिनांक 26.7.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो.सं01, 8 :– श्री दिनेश यादव

3. वकील रेस्पो0 सं0 9 :– श्री विरेन्द्र सिंह मेहरा

निर्णय दिनांक 8.1.2021

1 उपरोक्त दोनों अपीलें तहत अदालत द्वारा दो दावों को कन्सोलीडेट करके पारित किये गये एक ही निर्णय के खिलाफ पारित की गई है । इन दोनों अपीलों में पक्षकार एक समान है तथा विवादित आराजीयात भी एक समान है

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तथा मांगा गया अनुतोष भी एक समान है । इसलिये इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में अपील संख्या 92/2019 के तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत में वादी ओमप्रकाश ने राजस्व वाद संख्या 215/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 403/0.1000ख 405/0.0900, 406/0.2700, 407/0.0600, 408/0.0800, 409/0.1800, 410/0.1900, 411/0.2100, 412/0.5900, 413/0.0300, 414/0.5800, 416/0.2000, 417/0.1100, 418/0.1300, 415/0.2000 में से 1/4 भाग वाके ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा वादी के नाना शिवचरण पुत्र शिम्भू के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । जिस पर वादी के नाना अपने जीवनकाल में काबिज रहा है । उनके बाद उनके वारिसान वादी तरतीबी प्रतिवादीगण मायावती व प्रेम (वादी की माता की बहन) व असल प्रतिवादीगण भागमल, भगतसिंह, छतरमल, संतोष देवी, वेदपाल, कृष्ण काबिज चले आ रहे हैं । वादी के नाना की आराजी में वादी का 1/7 हिस्सा है । परन्तु प्रतिवादीगण असल नें कर्ता खानदान होने का फायदा उठाकर सम्पूर्ण आराजी की विरासत अपने नाम करा ली । साथ ही प्रतिवादी नम्बर 08 ने अवगत कराया कि उसने विवादित आराजी खरीद कर ली है । जबकि प्रतिवादीगण मात्र अपने हिस्से की आराजी का ही बेचान कर सकते हैं । वादी और तरतीबी प्रतिवादीगण का आराजी में 1/7, 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है । अतः वाद पत्र डिकी किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 26.7.2019 के द्वारा डिकी किया है, जिसके खिलाफ यह अपील संख्या 92/2019 अदालत हाजा में प्रतिवादी नम्बर 08 द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3 अपील संख्या 106/2019 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी मायावती पुत्री स्व0 शिवचरण ने तहत अदालत में उपरोक्त आरायाती की बाबत राजस्व वाद संख्या 216/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर उपरोक्त वाद संख्या 92/2019 के समान ही तथ्य प्रकट कर उसी वाद के समान ही अनुतोष चाहा है । तहत अदालत ने इन दोनों दावों वाद संख्या 92/2019 ओमप्रकाश बनाम भागमल व अन्य तथा 216/2019 उनवान मायावती बनाम भागमल वगैरा को कन्सोलीडेट करके वाद संख्या 215/2019 के साथ साथ वाद संख्या 216/2019 को भी डिकी किया है । वाद संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

216/2019 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.7.2019 के खिलाफ यह अपील संख्या 106/2019 प्रतिवादी संख्या 08 ने प्रस्तुत की है ।

4 उपरोक्त दोनों अपीलों के अपीलांट कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 के विद्वान वकील ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है । कम्पनी के मैनेजर का मुख्यालय गुडगांवा में है । भिवाडी में कम्पनी का कोई कार्यालय नहीं है । कम्पनी के मैनेजर पदम विजय के नाम से भिवाडी के पते पर चस्पांदगी से तामील करवा दी गई । जबकि मैनेजर पदम विजय भिवाडी में नहीं रहता है और ना हीं कम्पनी का कार्यालय भिवाडी में है । कुल मिलाकर फर्जी तामील कराई गई है । तामील के सम्बन्ध में सी0 पी0 सी0 के आदेश 09 की पूर्णतया पालना नहीं की गई है । इस प्रकार फर्जी तामील कराकर हमको बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । विपक्षी को बिना सुने वो भी फर्जी तामील कराकर पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं होता है, जो अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी शिवचरण की खातेदारी की थी । उनके मरने के बाद उनके वारिसान पूरणसिंह, राजाराम, प्रहलाद, भागमल के नाम विरासत दर्ज हुई है और वो खातेदार दर्ज हो गये । उन खातेदारों से भूमि हमने जरिये पंजीकृत बयनामा प्रतिफल देकर खरीद की है । हम सदभावती क्रेता है । परन्तु विद्वान तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में हमारे बयनामा के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है । जब तक हमारे बयनामों को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक वादी को विवादित आराजी पर किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता । इस लिहाज से भी अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध है । दोनों ही पक्ष आपस में रिश्ते में भाई बहिन, बहिन के पुत्र है, जिन्होंने साजबाज होकर हमारे खिलाफ दावा प्रस्तुत किया है और फर्जी तरीके से वाद पत्रों को डिक्री करा लिया । विवादित आराजीयात में से अन्य लोगों ने भूमि खरीद की है । वे लोग वाद में आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया है । आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वाद पत्र डिफेक्टिव है । वाद पत्र के टाईटल में कईयों के नाम के आगे मृतक शब्द लिखे हुये हैं ,परन्तु उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया । यह तथ्य भी गौरतलब है कि वाद पत्र दिनांक 27.6.2019 को प्रस्तुत किया गया था और अपीलाधीन निर्णय मात्र 11 महिने की अवधि में ही दिनांक 26.7.2019 को ही पारित कर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गया । स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही साजबाज होकर जल्दबाजी में की गई है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः हर दोनों अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 8 (वादीगण) अपने वाद पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी मृतक शिवचरण की थी । उसके असल प्रतिवादीगण के साथ साथ अन्य तीन लडकियां भी है । वादनी मायावती शिवचरण की पुत्री है तथा वादी ओमप्रकाश शिवचरण का नवासा है । वादी ओमप्रकाश की माता भागरती पुत्री शिवचरण थी, जो फौत हो चुकी है । मृतक शिवचरण की एक अन्य पुत्री तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 11 प्रेम है । इस प्रकार विवादित आराजीयात में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/7, 1/7, 1/7 विरासतन हिस्सा है । परन्तु असल प्रतिवादीगण ने चालाकी से सम्पूर्ण आराजी की विरासत अपने नाम दर्ज करवाकर आराजी का बेचान कर दिया । कानूनन पैत्रिक सम्पत्ति में सभी भाई बहनों का हिस्सा निहित होता है । असल प्रतिवादीगण को केवल अपने हिस्से तक की ही भूमि को बेचान करने का अधिकार है । जहां तक विधिवित तामील के सम्बन्ध में अपीलांट का तर्क है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इनकी प्रोपर तामील कराई गई है । तामील में सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की गई है । परन्तु अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 08 बावजूद सूचना के तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । इसलिये इनकी सही तौर पर इकतरफा की गई है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि हर दोनों अपीलें खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम हमने तामील के बिन्दू पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में प्रतिवादी नम्बर 08 कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 के निमित्त सम्मन की प्रति संलग्न है, जिस पर तामीलकुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि कोनार्क रिसोर्ट ऑफिस में मैनेजर मौजूद है, तामील लेने से मना किया, हमारे सामने एक प्रति नोटिस चस्पा किया । इस नोटिस पर दो गवाहों जगदीश पुत्र रतनलाल एवं देशराज पुत्र जगदीश के हस्ताक्षर है । इस नोटिस के अवलोकन से हमारे सामने यह बिन्दू उभरकर आते हैं कि जब स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र के टाईटल में प्रतिवादी नम्बर 08 अपीलांट का मुख्यालय गुडगांवा होना अंकित किया है तो फिर गुडगांवा के पते पर तामील क्यों नहीं कराई गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

इसके अतिरिक्त तामील कुनिन्दा ने जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर कराये हैं, उनका पता भी अंकित नहीं है । जबकि गवाहों के पते भी अंकित होने चाहिये । सी0 पी0 सी0 के आदेश 09 में स्पष्ट प्रावधान है कि सही पते पर तामील कराई जावे तथा जिन गवाहों की तामील कुनिन्दा गवाही कराता है, उनके स्पष्ट हस्ताक्षर पूर्ण पते के साथ अंकित होने चाहिये । परन्तु प्रतिवादी नम्बर 08 की तामील कराने में इन प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई है । इस प्रकार सिद्ध है कि प्रतिवादी नम्बर 08 अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । इस सम्बन्ध में तहत अदालत एवं अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । विवादित आराजी में मृतक शिवचरण का 1/4 हिस्सा सह खातेदारी में दर्ज था । उनके देहान्त के बाद उसकी विरासत उसके चार पुत्रों पूरणसिंह, राजाराम, भागमल व प्रहलाद के नाम दर्ज हुई । प्रहलाद फौत हो चुका है । प्रहलाद की विरासत उसके वारिसान के नाम शिवचरण की विरासत के साथ साथ दर्ज हुई है । यह विरासत इन्तकाल नम्बर 322 एग्जिविट नम्बर 01 दिनांक 20.10.96 को स्वीकार हुआ है । विरासत इन्तकाल नम्बर 322 एग्जिविट नम्बर 01 के अवलोकन से सिद्ध है कि खाता संख्या 61 के किता 32 कुल रकबा 38.02 बीघा, खाता संख्या 62 किता 2 कुल रकबा 2.12 बीघा, खाता संख्या 70 किता 2 कुल रकबा 5.08 बीघा और खाता संख्या 16 किता एक रकबा 2 बीघा मृतक शिवचरण के चारों पुत्रों, उनमें से एक मृतक पुत्र प्रहलाद के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है । पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के अवलोकन से यह सिद्ध है कि मृतक शिवचरण के 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां वारिस हैं । मृतक शिवचरण की विरासत उसके चारों पुत्रों के नाम तो दर्ज हुई है, परन्तु 3 पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं हुई है । वाद पत्र में वादीगण ने कुल 15 आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा चाही है, जबकि विरासत इन्तकाल नम्बर 322 के अनुसार मृतक शिवचरण की सह खातेदारी में कुल 37 खसरा थे । वादीगण ने केवल उन्हीं खसरा नम्बरों की बाबत घोषणा चाही है, जिनका पंजीकृत बयनामा अपीलांट के पक्ष में हुआ है । वादीगण ने शिवचरण मृतक की खातेदारी के सभी 37 खसराओं में घोषणा क्यों नहीं चाही है । कानूनन यह सही है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुत्रियों को भी उनका हक, हिस्सा मिलना चाहिये, परन्तु इन वादों में केवल अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

को बेचान किये गये हिस्से में ही खातेदारी चाही है, अन्य खसरा नम्बरान को शामिल नहीं किया गया है । इस प्रकार से वादीगण की यह रिलीफ विधिक प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है ।

8 तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट के पक्ष में हुये बयनामों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट के बयनामों को ना तो नल एण्ड वॉयड करार दिया गया है और ना ही उन बयनामों को प्रारम्भत से ही शून्य घोषित किया गया है । ना ही इन बयनामों को सिविल न्यायालय से भी निरस्त कराया गया है । जब बयनामों को ना तो निरस्त कराया गया है और ना ही बातिल व बेअसर करार दिया गया है तो फिर अपीलांट की खरीदशुदा भूमि पर वादीगण को कैसे खातेदार घोषित किया जा सकता है । एक अन्य तथ्य हमारे सामने उभरकर यह आया है कि मृतक शिवचरण की विरासत उसके चार पुत्रों में दर्ज होने के बाद बचे हुये हिस्से में से वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते थे । इस प्रकार यह दुर्भावनायुक्त संधि मानी जायेगी, क्योंकि अन्य प्रतिवादी भी अदालत तहत में उपस्थित नहीं हुये ।

9 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । लिहाजा हर दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है ।

10 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.7.2019 निरस्त किये जाते हैं ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

8/1/21

(कमल राम मीना)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 92 / 19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 कोनार्क हाउस कोर्ट रोड गुडगांवा जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता देवानन्द शुक्ला पुत्र दूधनाथ शुक्ला निवासी क्यू जी 4 कोनार्क ओयसिस भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:– प्रतिवादी / अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्रीमती भागरती जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

:––वादी / रेस्पा0

2 भागमल पुत्र शिवचरण जाति गूर्जर
3 भगतसिंह पुत्र प्रहलाद जाति गूर्जर
4 छतरपाल पुत्र राजाराम जाति गूर्जर
5 रंतरा देवी स्त्री पूरणसिंह जाति गूर्जर
6 वेदपाल पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर
7 ,कृष्ण पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर निवासीयान सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
8 मायावती स्त्री लक्ष्मण जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 प्रेम स्त्री नामालूम जाति गूर्जर निवासी ग्राम बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

10 राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:—— प्रतिवादी / रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 26.7.2019

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0सं0 1,8 :— श्री दिनेश यादव

दूसरी अपील :—

अपील संख्या :— 106 / 19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :— 1. कोनार्क रिसोर्ट मैनेजमैंट प्रा0 लि0 कोनार्क हाउस कोर्ट रोड गुडगांवा जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता देवानन्द शुक्ला पुत्र दूधनाथ शुक्ला निवासी क्यू जी 4 कोनार्क ओयेसिस भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:—— प्रतिवादी / अपीलांट

बनाम

1 मायावती स्त्री लक्ष्मण जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

:——वादी / रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 भागमल पुत्र शिवचरण जाति गूर्जर

3 भगतसिंह पुत्र प्रहलाद जाति गूर्जर

4 छतरपाल पुत्र राजाराम जाति गूर्जर

5 संतरा देवी स्त्री पूरणसिंह जाति गूर्जर

6 वेदपाल पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर

7 ,कृष्ण पुत्र पूरणसिंह जाति गूर्जर निवासीयान सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

8 ओमप्रकाश पुत्र श्रीमती भागरती जाति गूर्जर निवासी बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

9 प्रेम स्त्री नामालूम जाति गूर्जर निवासी ग्राम बहरामपुर जिला गुडगांवा हरियाणा

10 राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——प्रतिवादीगण / रेस्पा0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा

दिनांक 26.7.2019

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो.सं01, 8 :— श्री दिनेश यादव

3. वकील रेस्पो0 सं0 9 :— श्री विरेन्द्र सिंह मेहरा

पर्चा डिक्री दिनांक 8.1.2021

हर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.7.2019 निरस्त किये जाते हैं ।

8/1/21

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर